राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 906/2014/बीकानेर.

श्रीमती राधादेवी पत्नी श्री बाबूलाल
ग्राम–हरपालू कुबडी तहसील राजगढ़
जिला चुरू। प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए उपपंजीयक,
बीकानेर। .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
आशा कुमारी – सदस्य

उपस्थित : :

श्री बद्रीप्रसाद,
अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/01/2015

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एंव पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर (जिसे आगे "कलेक्टर" कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 15.05.2014 जो कि क्रमांक लेखा/रिफण्ड/20114–15/1580 में पारित किया गया है, के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा गांम बिग्यावास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ स्थित खसरा सख्या 430 तादादी 5.9200 हैक्टर भूमि को श्री विकास पुत्र श्री किताबसिंह से रू0 2600000/– में क्रय करने हेतु रू0 100000/– का मुद्रांक पत्र का दिनांक 12.06.2013 को क्रय किया गया तथा दिनांक 20.02.2014 को विक्रय पत्र टंकित किया गया। तत्पश्चात विक्रेता द्वारा उक्त दस्तावेज पंजीयन करवाने से इन्कार कर दिये जाने के कारण उक्त टंकित मुद्रांक पत्र प्रार्थी (क्रेता) के काम में नहीं आने से मुद्रांक पत्र की राशि रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 03.04.2014 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रार्थी के टंकित मुद्रांक पत्र अधिनियम की धारा 63(क) के अन्तर्गत मानते हुए इनके रिफण्ड के प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा 6 माह में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसे अवधि बाहर मानते हुए आदेश दिनांक 15.05.2014 के द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15.05.2014 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि सोदा खराब हो जाने के कारण विक्रेता द्वारा विक्रय–दस्तावेज पंजीबद्ध कराने से

आशा कुमारी

लगातार.. 2

इन्कार कर दिये जाने से विक्रय दस्तावेज निष्पादित (executed) नहीं हो पाया। इस प्रकार विक्रेता द्वारा विक्रय दस्तावेज निष्पादित करने से इन्कार किये जाने से प्रार्थी का मामला राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(iv) में अंकित श्रेणी में आता है तथा ऐसे मुद्रांक पत्रों के रिफण्ड के लिये कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम की धारा 59(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत 2 माह की अवधि निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुद्रांक विक्रेता के विक्रय रजिस्टर की प्रति तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त की अनदेखी करते हुए प्रार्थी का प्रकरण अधिनियम की धारा 63(क)के अन्तर्गत मानकर इस प्रकरण में रिफण्ड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि अधिनियम की धारा 63(क) के अनुसार 6 माह मानते हुए प्रार्थी के रिफण्ड प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर उसके द्वारा क्रय किये गये मुद्रांक रिफण्ड हेतु कलेक्टर को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में क्रेता प्रार्थी द्वारा विक्रेता से विवादित अराजी क्रय करने का विक्रय पत्र गैर न्यायिक मुद्रांक दिनांक 20.02.2014 को टंकित होने के पश्चात पक्षकारों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद सोदा खराब हो जाने से इन मुद्रांकों को वांछित उपयोग में नहीं लिये जा सकने के कारण मुद्रांक–पत्रों की राशि रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 03.04.2014 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रार्थी को मामले अधिनियम की धारा 63(क) के अन्तर्गत अंकित श्रेणी में मानते हुए अपने आदेश में जो निर्णित किया गया वह इस प्रकार है:– **" आप द्वारा जरिये श्री घनश्याम शर्मा एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 03.04.2014 को राशि 100000/– का मुद्रांक रिफण्ड प्रकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। स्टाम्पों का कय दिनांक 12.06.2013 को बैयनामा निष्पादन हेतु कय किये गये। राजस्थान वित्त विधेयक 2013 के अध्याय 4 में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 63(क) के अनुसार ऐसा कोई भी स्टाम्प जिसे राजस्थान वित्त अधिनियम 2013 की प्रारम्भ की दिनांक को उसके पश्चात् कय किये गये है उसके कय की तारीख से छः माह का कालावधि के भीतर–भीतर ही उपयोग में लिया जायेगा या मौके के दावे के लिये प्रस्तुत किया जावेगा। चूंकि आप द्वारा प्रस्तुत दावा निर्धारित समयावधि पश्चात् किया गया है। अतः रिफण्ड आवेदन–पत्र खारिज योग्य होने के कारण स्टाम्प दावा अस्वीकृत किया जाता है।"** अधिनियम की धारा 63 में यह अंकित किया गया है कि "

आशा कुमारी

63. Allowance for stamps not required for use – when any person is possessed of a stamps or stamps which have not been spoiled or rendered unfit or useless for purpose intended, but for which he has no immediate use, the Collector shall repay to such person the value of such stamps or stamps in money, deduction ten for each rupee or portion of a rupee, upon such person delivering up the same to be cancelled, and proving to the Collector's satisfaction,-

(a) that such stamp or stamps were purchased by such person with a bona fide intention to use them; and

(b) that he had paid the full price thereof; and

(c) that they were so purposed within the period of six months next preceding the date on which they were so delivered:

Provided that, where the person is a licensed vendor of stamps, the Collector may, if he thinks fit, make the repayment of the sum actually paid by the vendor without any such deduction as aforesaid.

इस प्रकरण में प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय पत्र प्रार्थी क्रेता एवं विक्रेता के मध्य दिनांक 20.02.2014 को मुद्रांक पत्रों पर टंकित होने के पश्चात इस सोदे में पक्षकारों में आपसी विवाद हो जाने के कारण क्रेता/विक्रेता के बीच सोदा निरस्त होने की वजह से इस दस्तावेज का पंजीयन कराने से पक्षों द्वारा इन्कार कर दिये जाने के कारण यह प्रकरण अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आता है न कि धारा 63 के अन्तर्गत जैसा कि कलेक्टर ने निर्णित किया है। धारा 58(घ)(vi) में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि by reason of the refusal of any person to act under the same, or to advance any money intended to be thereby secured, or by the refusal of non-acceptance of any office thereby granted, totally fails of the intended purpose

हस्तगत प्रकरण में सौदा खराब हो जाने के कारण दस्तावेज को पंजीयन नहीं करवाया जा सका। अतः यह प्रकरण धारा 58(घ)(vi) में अंकित श्रेणी में आता है इस धारा में अंकित श्रेणी में आने वाले प्रकरणों के लिए रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि अधिनियम की धारा 59(i) के तहत 2 माह निर्धारित है। धारा 59(i) में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि:–

59. Application for relief under section 58 when to be made-The application for relief under section 58 shall be made within the following periods, that is to say-

(i) in the case mentioned in clause (d) (vi), within two months of the date of the instrument;

हस्तगत प्रकरण में विक्रय विलेख दिनांक 20.02.2014 के मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 03.04.2014 को अर्थात् लगभग 1 माह 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत किया गया जो 2 माह की निर्धारित समायावधि के अन्दर ही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि 2 माह की अवधि में कलेक्टर के समक्ष पेश कर दिया गया।

3/2/11

लगातार..... 4

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित मियाद में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु कलेक्टर द्वारा रिफण्ड हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अवधि बाहर मानते हुए खारिज किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत नही होने से अपास्त किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी स्वीकार की जाकर इन निर्देशों के साथ कलेक्टर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को समायावधि में मानते हुए प्रार्थी को मुद्रांक की रिफण्ड योग्य राशि लौटाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

निर्णय सुनाया गया।

आशा कुमारी
12-01-15

(आशा कुमारी)
सदस्य